प्ररूप सं. 6ख

[नियम 14क *देखिए*]

[1][*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2क) के खंड (i) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट*]

*मैंने/हमने ....

[निर्धारिती का नाम और पता]

के, जिसका स्थायी खाता सं. .... है, तारीख.. को यथा विद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि लेखा की जांच की है, जो.. स्थित मुख्यालय और... स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। *मेरी/हमारी राय में, *मेरे/हमारे द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं में जहां तक बहियों की *मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, और नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए उन शाखाओं से, जहां *मैंने/हमने दौरा नहीं किया है, संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं :

....

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित को सत्य और सही रूप में उपदर्शित किया गया है—

(*i*) तुलन पत्र की दशा में, ऊपर नामित निर्धारिती के तारीख.................................. को विद्यमान कार्यकलापों की स्थिति को, और

(*ii*) लाभ और हानि लेखा की दशा में, ऊपर नामित निर्धारिती के .... को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए लाभ या हानि को।

विहित विशिष्टियां और.................................. [निर्धारण अधिकारी] द्वारा उसके तारीख..................................के आदेश सं. ....द्वारा अपेक्षित अन्य विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं। *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार ये सत्य और सही हैं।

स्थान..................................   ....

तारीख..................................   *हस्ताक्षरित*

*अकाउंटेंट***

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

[1][*2. यह रिपोर्ट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2क) के खंड (i) के अधीन आयकर मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्दिट लेखापाल द्वारा दी जाएगी*]

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी बात का उत्तर नहीं में या सशर्त दिया गया है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

उपाबंध

विशिष्टियों का विवरण

1. रखी गई लेखा बहियां	....
2. अपनाई गई लेखा पद्धति। यह बताएं कि क्या ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है	....
3. (*i*) निम्नलिखित के आरंभिक और अंतिम स्टॉक के मूल्यांकक की पद्धति—	
(*क*) कच्ची सामग्री	....
(*ख*) भंडारण	....
(*ग*) चालू संकर्म	....
(*घ*) व्यापार स्टॉक	....
(*ii*) यह बताएं कि क्या उपर्युक्त मदों में से किसी के मूल्यांकन की पद्धति में ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में अपनाई गई पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन किया गया है।	....
(*iii*) यदि ऊपर (*ii*) का उत्तर हाँ में है तो उस परिवर्तन के कारण उस वर्ष के लाभ या हानि को प्रभावित करने वाली राशि विनिर्दिष्ट करें।	

1. आय-कर (बाईसवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **27-9-2023** से प्रतिस्थापित।

4. विनिर्मित मदों की बाबत कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के पूर्ण परिमाणात्मक ब्यौरे, जैसे नीचे उपदर्शित हैं :

कच्ची सामग्री

(*क*) आरंभिक स्टॉक ....

(*ख*) वर्ष के दौरान किए गए क्रय ....

(*ग*) वर्ष के दौरान उपभोग ....

(*घ*) वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ....

(*ङ*) अंतिम स्टॉक ....

(*च*) तैयार उत्पादों की प्राप्ति ....

(*छ*) प्राप्ति का प्रतिशत ....

(*ज*) कमी ....

तैयार उत्पाद

(*क*) आरंभिक स्टॉक ....

(*ख*) वर्ष के दौरान किए गए क्रय ....

(*ग*) वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा ....

(*घ*) वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ....

(*ङ*) वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक ....

(*च*) कमी और उसका प्रतिशत ....

टिप्पण :

1. उप-उत्पादों की, यदि कोई हों, बाबत उपरोक्त के अनुसार पृथक् परिमाणात्मक ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

2. जहाँ निर्धारिती माल का व्यौहारी है वहाँ उपरोक्त अनुसार व्यौहार किए गए माल के परिमाणात्मक ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

5. (*i*) क्या निर्धारिती ने कच्ची सामग्री, भंडारण और तैयार उत्पादों या व्यौहार किए गए मालों की अस्तित्व जांच की है? ....

(*ii*) विसंगतियों के, यदि कोई हों, ब्यौरे ....

6. (*क*) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित की बाबत उपगत व्यय की राशि : ....

(*i*) विज्ञापन ....

(*ii*) अतिथिगृह की प्रकृति के किसी आवास का अनुरक्षण (रखरखाव) ....

(*iii*) यात्रा ....

(*iv*) सत्कार [इसके अंतर्गत किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को संदत्त सत्कार भत्ते की राशि भी है] ....

(*ख*) क्या निर्धारिती द्वारा ऊपर (*क*) में निर्दिष्ट किसी मद की बाबत उपगत व्यय आयकर अधिनियम/नियम के अधीन अनुज्ञेय राशि से अधिक है? यदि हाँ, तो ब्यौरे दें। ....

7. जहाँ निर्धारिती कोई फर्म है वहां ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक के रूप में किए गए संदायों के ब्यौरे दें ....

8. जहाँ निर्धारिती कोई कंपनी है, वहां निम्नलिखित के ब्यौरे दें–

(*i*) ऐसा कोई व्यय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (*क*) किसी निदेशक; (*ख*) ऐसे व्यक्ति, जो कंपनी में सारवान् रूप से हितबद्ध है; और (*ग*) निदेशक या ऐसे किसी व्यक्ति के किसी नातेदार के किसी पारिश्रमिक, फायदे या सुख सुविधा के उपबंध के परिणामस्वरूप हुआ है ....

(*ii*) ऊपर (*i*) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के प्रयोजनों या फायदे के लिए पूर्णतः या भागतः उपयोग की गई कंपनी की आस्तियों के संबंध में कोई व्यय या भत्ता [यह बताएं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति निर्धारिती का कोई कर्मचारी है ....

या नहीं]

9. उन राशियों के ब्यौरे, जो धारा 40क के अधीन कटौती योग्य नही हैं : ....

(*क*) उन संदायों की विशिष्टियां, जो धारा 40क(2)(*क*) के अनुसार अधिक या अनुचित प्रतीत होती हैं ....

(*ख*) 2500* रुपए से अधिक के उन संदायों की विशिष्टियां, जिनका संदाय क्रास चैक या ड्राफ्ट से अन्यथा किया गया है–धारा 40क(3) ....

(*ग*) धारा 40क(5)(ग)** में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक के व्यय या भत्ते की विशिष्टियां ....

(*घ*) किसी पूर्व कर्मचारी को फीस और वेतन के रूप में उपगत 60,000 रुपए से अधिक के व्यय की विशिष्टियां - 40क(6)** ....

(*ङ*) उपदान के संदाय के लिए उपबंध अनुज्ञात नहीं है - धारा 40क(7) ....

(*च*) जहां निर्धारिती कोई कंपनी है, वहां निक्षेपों पर ब्याज की राशि धारा 40क(8)† के अधीन अनुज्ञेय नहीं है ....

10. क्या किसी व्यक्ति से पाने वाले के खाते में देय चैक से अन्यथा हुंडी पर कोई रकम उधार ली गई है या उस पर शोध्य कोई रकम (उधार ली गई रकम पर ब्याज सहित) पाने वाले के खाते में देय चैक से अन्यथा उसको वापिस की गई है? यदि हां, तो ब्यौरे दें। ....

11. (*क*) प्रोफार्मा क्रेडिट/ड्राबैक/सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या दोनों के प्रतिदाय/विक्रय कर के प्रतिदाय की विशिष्टियां। क्या उन्हें लाभ और हानि लेखा में जोड़ा गया है? ....

(*ख*) किसी पूर्वतर वर्ष के ऐसे व्यय/आय की विशिष्टियां, जिसे सुसंगत पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में नामे डाला गया है/जोड़ा गया है। ....

(*ग*) आकस्मिक प्रकृति के किसी ऐसे दायित्व की विशिष्टियां, जिसे लाभ और हानि लेखा में नामे डाला गया है ....

12. निर्धारिती द्वारा लिए गए प्रत्येक ऋण (किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए किसी ऋण से भिन्न) की विशिष्टियां निम्नलिखित प्ररूप में दें : ....

(*i*) ऋणदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्यांक ....

(*ii*) क्या रकम को हुंडी पर उधार लिया गया है? ....

(*iii*) क्या वर्ष के दौरान ऋण को चुका दिया गया है? ....

(*iv*) वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम और संदत्त ब्याज की दर ....

(*v*) संपार्श्विक प्रतिभूति सहित प्रस्तावित प्रतिभूति, यदि कोई हो, के ब्यौरे ....

(*vi*) प्रत्याभूतिदाता, यदि कोई हो, का नाम और पता ....

13. किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए प्रत्येक ऋण/ओवर-ड्राफ्ट की विशिष्टियां निम्नलिखित प्ररूप में दें : ....

(*i*) वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम ....

(*ii*) संपार्श्विक प्रतिभूति सहित प्रस्तावित प्रतिभूति, यदि कोई हो, के ब्यौरे ....

(*iii*) प्रत्याभूतिदाता, यदि कोई हो, का नाम और पता ....

14. क्या निर्धारिती ने स्रोत पर कर की कटौती की है और क्या इस प्रकार कटौती की गई रकम का अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में संदाय कर दिया गया है? यदि नहीं तो किए गए व्यतिक्रमों के ब्यौरे दें ....

15. (*क*) पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदत्त करों, शुल्कों, आदि के ब्यौरे ....

(*ख*) क्या संदायों की संबंधित तारीखों और लेखा बहियों की प्रविष्टियों में कोई विसंगति पाई गई है? यदि हां तो उसकी विशिष्टियां दें ....